1. **योजना का नाम** :– **शैक्षणिक ऋण योजना**

2. **योजना का संक्षिप्त विवरण** :– शैक्षणिक ऋण योजना के अन्तर्गत अधिकतम 5 वर्ष की अवधि वाले राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा उनकी किसी ऐजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठयक्रम हेतु शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

3. **प्रारम्भ होने का वर्ष** :– वर्ष 2002–03

4. **लाभान्वित वर्ग** :– अधिसूचित अल्पसंख्यको अर्थात मुसलमानो,ईसाइयो,सिक्खो,बौद्वो,पारसी तथा जैन वर्ग

5. **पात्रता** :– अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों जिनकी पारिवारीक वार्षिक आय(क्रेडिट लाईन–I) ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक 81000/– एवं शहरी क्षेत्र में 1,03,000/– से कम हो एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,नई दिल्ली मे अपनी वर्तमान में अपनी योजनाओं के तहत एवं अतिरिक्त वार्षिक आय पात्रता स्लैब "क्रीमीलेयर मापदण्ड के आधार पारिवारिक (क्रेडिट लाईन–II) वार्षिक आय 6 लाख रू0 कर दी है। इसमें मौजूदा स्कीम के अन्तर्गत दिये जा रहे ऋण की तुलना में ऊची ब्याज दर पर रियासती ऋण मिलेगा लाभार्थियो की आयु शैक्षणिक ऋण हेतु 16 से 32 वर्ष से अधिक न हो। लाभार्थी द्वारा पूर्व मे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम अथवा अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास एवं वित्त निगम अथवा अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओ के अन्तर्गत ऋण नही लिया गया हो प्रार्थी पर किसी भी बैंक,सरकारी ,अर्द्वसरकारी,सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नही है।

6. **देय सुविधा** :– क्रेडिट लाईन–I में 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ भारत में व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी डिग्री कोर्स के लिये प्रतिवर्ष 3 लाख रू0 तक की दर से 15.00 लाख रूपये तक क्रेडिट लाईन –II में प्रतिवर्ष 4 लाख रूपये की दर से 20.00 लाख तक, क्रेडिट लाईन I में 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ विदेश में कोर्स के लिये प्रतिवर्ष 4.00 लाख रूपये की दर से 20.00 लाख रूपये तक,क्रेडिट लाईन II में 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ विदेश मे कोर्स के लिये प्रतिवर्ष 6.00 लाख रू. की दर से 30 लाख रूपये तक शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्रेडिट लाईन I में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दर एवं क्रेडिट लाईन– II में पुरूष लाभार्थियो के लिये 8 प्रतिशत वार्षिक महिला लाभार्थियो के लिये 5 प्रतिशत वार्षिक, ब्याज देय होता है।

7. **आवेदन का तरीका** :– अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यार्थी को ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा निःशुल्क जारी किया जायेगे।

आवेदन–पत्र सीधे ही निगम की बेवसाइट से डाऊनलोड करके उसकी फोटो प्रति करवायी जा सकती है। आवेदन पत्र जमा कराने पर प्रार्थी से 20 रूपये प्रवेश शुल्क के रूप में जमा कराने होगे ऋण स्वीकृति पश्चात सदस्यता हेतु स्वीकृत ऋण राशि का 2 प्रतिशत निगम में जमा कराने होगे।

8. **<u>आवेदन कहा किया जाये</u>** :– जिस जिले का निवास है। उस जिले के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के कार्यालय मे आवेदन किया जायेगा।

9. **<u>आवेदन के साथ औपचारीकताऐ</u>** :–

1. प्रार्थना–पत्र निर्धारीत प्रारूप में।
2. आवेदक का फोटो राजपत्रित अधिकारी/बैंक अधिकारी/निकाय प्रतिनिधि,संस्था प्रधान से प्रमाणित

3- सह–आवेदक (माता –पिता /संरक्षक) का फोटो राजपत्रित अधिकारी/बैंक अधिकारी/निकाय प्रतिनिधि अथवा ऋणी का जमानतदार से प्रमाणित।

4- निम्न दस्तावेज संलग्न करेः–

1. अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण–पत्र जो निम्न द्वारा जारी मान्य होगा :–

<u>(तहसीलदार/सरपंच/पार्षद/अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मगुरू के लेटरहेड पर अल्पसंख्यक प्रमाण –पत्र अथवा स्वयं का धर्म के सम्बन्ध मे नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र मान्य होगा अथवा स्व.घोषणा भी मान्य होगी।)</u>

2. आय प्रमाण–पत्र जो निम्न निम्न द्वारा जारी मान्य होगाः–

(<u>प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी /तहसीलदार/नगर पार्षद अथवा सरपंच /स्वंय द्वारा आय की घोषणा का शपथ–पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि के स्टांप पर) अथवा स्व. प्रमाणन मान्य होगा।</u>

3. मूल निवास प्रमाण–पत्र – (<u>प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/उपतहसीलदार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि के स्टांप पर) (दो फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/जॉब कार्ड/वोटर आई.डी.कार्ड आदि सहित) जिससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी है।</u>

4. शैक्षणिक योग्यताओ की अंकतालिकाओ एंव प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिया अथवा स्व. सत्यापन भी मान्य होगा।

5. जन्म प्रमाण पत्र।

6. पाठ्यक्रम एवं संस्था केन्द्र/राज्य सरकार/ए.आई.सी.टी.ई अथवा अन्य किसी अधिकृत वैधानिक संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिये।

7. शिक्षण संस्थान को देय विभिन्न शुल्को का संस्थान द्वारा जारी विवरण –पत्र

8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि के स्टाम्प पर प्रार्थी का शपथ–पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करे।

9. राज्य सरकार द्वारा निर्धारीत राशि के स्टाम्प पर 100,000 रूपये तक ऋण हेतु स्वंय की जमानत तथा रूपये 100,000 से 500,000/— तक एक जमानतदार तथा रूपये 500,000/— से अधिक के लिये दो जमानतदार, या ऋण राशि के बराबर मुल्य की अचल सम्पति गिरवी रखने के दस्तावेज जमानतनामें निर्धारित प्रारूप में संलग्न करे अथवा ऋण वितरण से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

10. आधार कार्ड की प्रति

11. कैन्सिल्ड चैक एवं खाता प्रमाणीकरण की प्रति राशि का

12. स्वीकृत ऋण राशि के बराबर स्वंय का बीमा कराकर जिला कल्याण अधिकारी के नाम असाइनमेन्ट करानी होगी।

13. प्रार्थी के पैन कार्ड की प्रति।

10. **<u>सम्पर्क सूत्र</u>** :—कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी